सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 11/2020 दिनांक 12.03.2020

O/o CE (EITC)
Receipt No. 724
Date 11 JUN 2020
DGM (IT)/SE (O)
EE........
Section ....

श्री संतोष कोसरिया
खरोरा, तहसील– तिल्दा,
जिला– रायपुर

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 10/06/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री संतोष कोसरिया खरोरा, रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 11/2020 दिनांक 12.03.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संतोष कोसरिया द्वारा आवेदन दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद के भर्ती परीक्षा के संबंध में बिन्दुवार जानकारी चाही गई है :–

(1) भर्ती हेतु ऑनलाईन परीक्षा (CBT) अंक निर्धारण हेतु नॉर्मलाईजेशन की प्रक्रिया होने पर Date/Shift Wise अंक घटने/बढ़ने की जानकारी।
(2) ऑनलाईन परीक्षा (CBT) के प्रश्न/उत्तर के संबंध में दर्ज की गई आपत्तियों पर की गई कार्यवाही।
(3) ऑनलाईन परीक्षा (CBT) में दावा आपत्ति पश्चात् कुल प्राप्तांक।
(4) हिन्दी कौशल परीक्षा में मेरा कुल प्राप्तांक।
(5) अंग्रेजी कौशल परीक्षा में मेरा कुल प्राप्तांक।
(6) भर्ती में कौशल परीक्षा में अंक निर्धारण करने हेतु अपनाई गई विधि/नियम की जानकारी।

नसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई जानकारी 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी जिससे असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांक 07.03.2020 प्रस्तुत गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 12.03.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील को पंजीयन मांक 11/2020 दिनांक 12.03.2020 द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। अपील आवेदन में अपीलार्थी द्वारा लेख किया गया है कि 06 बिन्दुओं में से बिंदु क्रमांक 03,04 व 05 की जानकारी दिनांक 12.02.2020 को प्राप्त हुई है। एवं बिंदु क. 01,02 एवं 06 की जानकारी एकत्रित कर उपलब्ध कराये जाने की बात कही गई थी। किन्तु आज दिनांक तक मुझे बिंदु 01,02,06 की जानकारी प्राप्त नही हुई है। अतः निवेदन है कि मुझे उक्त जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(3) सूचना पत्र क्रमांक 1211 दिनांक 14.05.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 04.06.2020 को सांय 4:00 बजे कक्ष क्रमांक जी –09 में निर्धारित की गई। अतः प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री कोसरिया को भी प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

निर्धारित तिथि को अपीलार्थी श्री कोसरिया एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के अवकाश उपरांत उनके स्थान पर सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह प्रबंधक (मा.सं.) उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के संबंध में बिन्दुवार जानकारी चाही गई है। उक्त जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–तीन होल्डिंग कंपनी से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके तारतम्य में संबंधित प्रभाग द्वारा 01 पृष्ठ की जानकारी उपलब्ध करायी गई। अतः धारा (7) 1 के तहत अभिलेख शुल्क रूपये 2/–मात्र का भुगतान करने बाबत् आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 469 दिनांक 03.02.2020 के माध्यम से अवगत करायी गई। आवेदक द्वारा अभिलेख शुल्क रूपये 2/–मात्र का भुगतान नगद के द्वारा किया गया। तद्पश्चात् पत्र क्रमांक 562 दिनांक 12.02.2020 के माध्यम से आवेदक को 01 पृष्ठ की जानकारी जिसमें बिन्दु क्रमांक 03. 04. एवं 05 सम्मलित हैं, लेख करते हुए कि बिंदु क. 01,02 एवं 06 की जानकारी एकत्रित किए जा रहे है, जो प्राप्त होने पर आपको नियमानुसार उपलब्ध कराये जा सकेंगे, से सूचित किया गया।

लेख है कि भारत सरकार के संबंधित संस्था EDCIL नई दिल्ली, जिसके द्वारा परीक्षा संचालित की गई है से कंड़िका 2/–टीप में चाही गई बिन्दु क्रमांक क्रमांक 01 02 एवं 06 की जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने विषयक अनुरोध किया गया है। किन्तु संबंधित संस्था के द्वारा आज दिनांक तक उक्त बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है। अतएव जानकारी अप्राप्त होने के कारण् आवेदक को उपलब्ध नही करायी जा सकी।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी तथा प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि कंड़िका 4/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है, जो स्वीकार योग्य है।

(iii) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हे जनसूचना अधिकारी के द्वारा बिन्दु क्रमाक 01,02 एवं 06 में चाही गई जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नही करायी गई है।

(iv) प्रतिअपीलार्थी का पक्ष कथन की कंड़िका 4/–टीप के दृष्टिगत कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बिन्दु क्रमांक 03.04. एवं 05 की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी जा

तथा बिन्दु क्रमांक 01 02 एवं 06 की जानकारी जो भारत सरकार के संस्था जिसके द्वारा र्ती संचालित किया गया है से संबंधित होने के कारण जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध य जाने विषयक अनुरोध किया गया है। किन्तु संबंधित संस्था द्वारा आज दिनांक तक जानकारी पलब्ध नही करायी गई है, अतः आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकी।

लेख है कि नोबल कोरोना वायरस (COVID –19) महामारी के दृष्टिगत संपूर्ण भारत में पूर्णतः लॉकडाउन था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि नई दिल्ली में अत्यधिक संक्रमण फैलने व पूर्ण लॉकडाउन के कारण संबंधित संस्था द्वारा सूचना का अधिकार से संबंधित प्रकरण में आज दिनांक तक कार्यवाही नही की जा सकी है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 04 एवं 05/–टीप के पैरा (iv) में उल्लेखित तर्क अपीलार्थी के शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं।

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक 03, 04, व 05 की जानकारी उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिससे अपीलार्थी संतुष्ठ है। तथा बिन्दु क्रमांक 01.02. व 06 की जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नही है, उक्त जानकारी भारत सरकार के उपक्रम संस्था से संबंधित है। अंतः स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर विलंब नही किया गया है। उनके द्वारा संस्था से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। किन्तु जानकारी प्राप्त न होने के कारण वे अपीलार्थी को जानकारी देने में असमर्थ रहे।

लेख है कि छ0 ग0 राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID –19) के भयंकर संक्रमण एवं रोकथाम के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक सामाजिक दूरी बनाये रखने के दृष्टिगत निरंतर लॉकडाउन की स्थिति थी। कार्यालयीन कार्यो में शासन के निर्देश के अनुरूप (पूर्व में एक तिहाई तथा दिनांक 31.05.2020 तक 50 प्रतिशत) कार्मिको की सेवाएं कार्यालयीन कार्यो में लिये जाने के परिणाम स्वरूप दैनंदिनी व समय–सीमा प्रकरण संबंधी कार्यालयीन कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार से संबंधित प्रथम अपील प्रकरण में कार्यवाही समय–सीमा में नही की जा सकी है।

जहॉ तक अपीलार्थी का अपील का प्रश्न है, पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बिन्दु क्रमांक 03, 04, व 05 की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जा चुकी है। तथा शेष बिन्दु क्रमांक 01. 02. व 06 की जानकारी संबंधित संस्था EDCIL से अप्राप्त है। उक्त जानकारी संबंधित संस्था से प्राप्त होने पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जावेगी। [initials]

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 11/2020 दिनांक 12.03.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

[signature] 10/6/2020
(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

02/अपील प्रकरण –11/2020/ 24 रायपुर, दिनांक 10/06/2020

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा0सं0)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को **आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

(3) श्री संतोष कोसरिया मॉ शीतला वार्ड नबंर –6 गुरू घासीदास मंदिर के सामने, खरोरा, तहसील– तिल्दा जिला– रायपुर (छ0ग0) पिन– 493225 को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

10/6/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700